बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र05(2)बजट (योजना)–11/2013 36 (बजट) /खाद्य,पटना, दिनांक–27-10-26

प्रेषक,

विभूति रंजन चौधरी (भा0प्र0से0),
निदेशक–सह–विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सुपौल।

विषय :– मांग सं0–18 के मुख्य शीर्ष–**3456** सिविल पूर्त्ति, उपमुख्य शीर्ष–**00**, लघु शीर्ष–102 सिविलपूर्त्ति योजना, उपशीर्ष–**0105** लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड **सं0–18–3456001020105** के विषयशीर्ष 28 04 व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु उपबंधित राशि में से **कुल 94,080/– (चौरानवे हजार अस्सी) रुपये मात्र** का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–300 दिनांक–15.10.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु प्रावधानित राशि से वित्त विभाग के पत्रांक–236 दिनांक–09.03.2026, पत्रांक–314/वि0 दिनांक–01.04.2026 एवं पत्रांक–2561/वि0 दिनांक–17.04.1998 में निहित निदेशों के अनुपालन में निम्न तालिका के अनुसार **कुल 94,080/– (चौरानवे हजार अस्सी) रुपये मात्र** के व्यय हेतु अनुमति दी जाती है।

जिला	इकाई	वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए आय–व्यय उपबंध	पुनरीक्षित उपबंध	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
सुपौल	0105.2804 व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ	7,50,00,000	7,50,00,000	94,080
	योग :–			**94,080**

कुल 94,080/– (चौरानवे हजार अस्सी) रुपये मात्र।

2. इस राशि की निकासी मांग संख्या–18, के मुख्य शीर्ष–3456 सिविल पूर्त्ति, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102 सिविलपूर्त्ति योजना, उपशीर्ष–0105 लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड सं0–18–3456001020105 के विषय शीर्ष 0105.2804 व्यावसायिक /कला/तकनीकी सेवाएँ अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में की जायेगी।

3. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–300 दिनांक–15.10.2026 के आलोक में राशि आवंटित की जाती है।

4. इस राशि की निकासी पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जाएगी। राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जाएगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। गलत एवं अधिक निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलें के जिला पदाधिकारी होगें तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

6. राशि व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाणपत्र/व्यय विवरणी विभाग को अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

26/10/26

निदेशक–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–प्र05(2)बजट(योजना)–11/2013 36(बजट) खाद्य,पटना–15,दिनांक –27-10-26

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/10/26

निदेशक–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–प्र05(2)बजट(योजना)–11/2013 36(बजट) खाद्य,पटना–15,दिनांक –27-10-26

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/जिला आपूर्ति पदाधिकरी–सुपौल/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/10/26

निदेशक–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–प्र05(2)बजट(योजना)–11/2013 36(बजट) खाद्य,पटना–15,दिनांक –27-10-26

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–06 तथा आई0टी0 मैनेजर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/10/26

निदेशक–सह–विशेष सचिव।